# विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 57

दिनांक : 31/5/17

प्रति,

प्राचार्य,
नवयुग महाविद्यालय,
बड़नगर,उज्जैन।

**विषय :** **विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।**

संदर्भ :– महाविद्यालय का सम्बद्धता–निरन्तरता आवेदन क्रमांक / 31, दिनांक 30.03.2016

शिक्षा सत्र 2016–17 में नवीन संकाय / नवीन विषय / सीट संख्या वृद्धि की जाने / संबद्धता- निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.05.2017 में प्रस्तुत किया गया जिसमें निर्णय लिया गया कि,नवयुग महाविद्यालय,बड़नगर,जिला–उज्जैन में सत्र 2016–17 से बी.कॉम.(कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन), बी.सी.ए.पाठ्यक्रम की सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2016–17 से बी.कॉम.(कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन),बी.सी.ए पाठ्यक्रम की सम्बद्धता–निरंतरता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति दो माह पूर्ण करने की शर्त पर कार्योतर नितात अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान की जाये। एवं सत्र 2017–18 में परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत चयन कराने के उपरांत ही अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान की जाये।

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में मैं महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर को निम्न विवरणानुसार सत्र 2016–17 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान की जाती है :–

| क्र. | पाठ्यक्रम | सीट संख्या |
|---|---|---|
| 1 | बी.कॉम.(कम्प्यूटर एप्लीकेशन) | पूर्व सत्रानुसार 80 |
| 2. | बी.सी.ए. | पूर्व सत्रानुसार 60 |

**शर्ते** :–01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.05.2017 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।

02. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के अनुसार कम्प्यूटर प्रयोगशाला के कम्प्यूटरों हेतु लायसेन्स्ड सॉफ्टवेयर क्रय किये जाये।

03. खेल का मैदान विकसित किया जाये।

04. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत कम्प्यूटर विज्ञान हेतु 02 शिक्षकों की एवं लायब्रेरियन तथा अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति की जाये।

**उपरोक्त कमियों की पूर्ति आवश्यक रूप से दो माह में पूर्ण करेंअन्यथा सम्बद्धता–निरंतरता पर पुनः विचार किया जावेगा।**

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरक्षर 02